

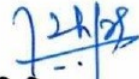
अपीलकर्ता : श्री मति भानमति राणा
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10768- डी दिनांक 12/04/2023
अपील कम्प संख्या : 32 दिनांक 03/05/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक (प्रथम)-कारागार मुख्यालय, तिहाड़ के द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन और प्रथम अपील का अवलोकन किया। अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए ज्ञापन पर असंतुष्टि दर्ज की है।

उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार मुख्यालय, तिहाड़ द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गई है। हालांकि, मांगी गई सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ए), 8(1) (जी) व 8 (1) (जे) के तहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। ज्ञापन में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।


उप महानिरीक्षक कारागार /
प्रथम अपीलीय अधिकारी ०/८

श्री मति भानमति राणा

F10(3476489)/ID-**10768-D**/CJ/Legal/2023/3504-05 Dated: 19/05/2023

आवश्यक सूचना/कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-(प्रथम), कारागार मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.